

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर) बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी – नरेश बुनकर, RAS

अतिरिक्त जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 31/2022

रजिस्ट्रेशन नं. :2022/37

राजस्थान राज्य जरिये
खाद्य सुरक्षा अधिकारी
बांसवाड़ा (राज)

बनाम

अभियुक्त :-

1. अजय पुत्र श्री राजमल जी लालावत मैसर्स – के.
एन. प्रोडक्ट्स, तहसील रोड,घाटोल, बांसवाड़ा
2. श्री प्रतिक छाजेड मैसर्स – छाजेड सेल्स कार्पो.,
1044, स्कीम नं.36, नीमच (म.प्र.)

अपराध अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक
अधिनियम 2006, नियम 2011

निर्णय

दिनांक 20-06-2022

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि श्री दिलीप सिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बांसवाड़ा (राज.) के द्वारा दिनांक 30-05-2022 को यह प्रकरण इस आशय का पेश किया गया कि दिनांक 14-01-2022 को 02.00 पी.एम. बजे वाहैसियत खाद्य सुरक्षा अधिकारी खाद्य पदार्थों की जाँच हेतु मैसर्स – के.एन. प्रोडक्ट्स, तहसील रोड,घाटोल पर पहुंचा। इस समय संस्थान पर अजय पुत्र श्री राजमल जी लालावत उपस्थित थे। विक्रेता की दुकान का निरीक्षण करने पर रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (ब्राण्ड प्रसिद्धि गोल्ड) के 250 पैक प्लास्टिक बोतल 750-750 ml आम जनता को विक्रय हेतु पाया। इसमें मिलावट का शक होने पर विक्रेता को गवाहान की उपस्थिति में फार्म नं.5ए पर सूचना देते हुए रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (ब्राण्ड प्रसिद्धि गोल्ड) के चार पैक मूल प्लास्टिक बोतल वास्ते नमूना जाँच हेतु खरीदा तथा इनकी कीमत 500 रु. विक्रेता को चुका कर रसीद प्राप्त की। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक की। नमूना जाँच हेतु खरीदशुदा रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (ब्राण्ड प्रसिद्धि गोल्ड) के चारो पैक प्लास्टिक बोतल मूल को नियमानुसार सील बन्द किया। उक्त नमूना भाग मय फार्म नं. 6 की प्रति आउटकवर में सील बन्द कर सील मोहर कर जाँच हेतु अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी, बांसवाड़ा एवं खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बांसवाड़ा को जमा करवाया।



(Handwritten signature)

अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/37-38 दिनांक 12-02-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 72 दिनांक 25-01-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (ब्राण्ड प्रसिद्धि गोल्ड) का नमूना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, it is declare Misbranded also under section 3(1)(ZI) of food safety and standerds act 2006 पाया गया। विक्रेता द्वारा रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (ब्राण्ड प्रसिद्धि गोल्ड) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिस पर उक्त अधिनियम की धारा 51 व धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने से दण्डित करने निवेदन किया।

प्रकरण दिनांक 03-06-2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर आरोपीगणों को जरिये समन तलब किया गया।


दिनांक 20.06.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अपना अपराध स्वीकार कर निवेदन किया कि न्यायालय जो भी जुर्माना करे, वह स्वीकार है। प्रकरण में आरोपीगणों द्वारा अपराध स्वीकार कर लेने के कारण अन्य किसी साक्ष्य की अब आवश्यकता नहीं रहती है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभियुक्त को सुना। पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखों का भी गहनता पूर्वक अवलोकन किया एवं उस पर मनन किया। अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं मुख्य चिकि. एवं स्वा. अधिकारी, बॉसवाडा के पत्रांक एफ.एस.एस.ए/2022/37-38 दिनांक 12-02-2022 एव खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बॉसवाडा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 72 दिनांक 25-01-2022 अनुसार विक्रेता से वास्ते नमूना जांच हेतु क्रय किया रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (ब्राण्ड प्रसिद्धि गोल्ड) का नमूना अमानक व मिथ्याछाप Sub-standard food under section 3(1)(ZX) of food safety and standards Act 2006 and violate food safety & standards (Packaging and Labelling) Regulation 2011, it is declare Misbranded also under section 3(1)(ZI) of food safety and standerds act 2006 पाया गया है। प्रकरण में अभियुक्तगणों द्वारा स्वयं अपराध स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में अब किसी अन्य साक्ष्य की आवश्यकता प्रतित नहीं होती है। इस कारण प्रकरण का अंतिम निस्तारण किया जाना हम उचित समझते हैं।



अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत सबस्टैण्डर्ड एवं धारा 3(1)(ZI) के तहत मिसब्राण्डेड रिफाईण्ड सोयाबीन तेल (ब्राण्ड प्रसिद्धि गोल्ड) को विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन होना पाया गया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 व नियम 2011 की धारा 51 व 52 में निर्धारित है। आरोपी को दोष सिद्ध घोषित किया जाकर अजय पुत्र श्री राजमल जी लालावत मैसर्स - के.एन. प्रोडक्ट्स, तहसील रोड, घाटोल, बाँसवाड़ा रूपये 10,000/- (अक्षरे रू दस हजार मात्र) व श्री प्रतिक छाजेड मैसर्स - छाजेड सेल्स कार्पो., 1044, स्कीम नं.36, नीमच (म.प्र.) को रूपये 15,000/- (अक्षरे रू पंद्रह हजार मात्र) के अर्थ दण्ड से दण्डित किया जाता है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक नियम 2011 के 3.1.2 के बिन्दू संख्या 3 में उल्लेखित आय मद 0210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800-अन्य प्राप्तियां, (03)-खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा-पत्र शुल्क आदि में उक्त जुर्माना राशि तीन दिवस में राजकोष में जमा कराकर चालान की प्रति इस न्यायालय में पेश करे। खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बाँसवाड़ा आरोपी को जुर्माना राशि का चालान जमा कराने पाबंद करे तथा जमा राशि का चालान प्राप्त कर प्रति इस न्यायालय में पेश करे।

निर्णय आज दिनांक 20.06.2022 खुले न्यायालय सुनाया गया।



(नरेश बुनकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी
(अति० जिला कलक्टर)
बाँसवाड़ा